

अदालत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर जिला भीलवाड़ा
उनवान

गोपा वि लीरा गुर्जर बनाम दीसा वि हरलाल गुर्जर वगैरा
सागाडा सागाडा
किस्म मुकदमा धारा 111-128 LRACT मु.नो. 2 सन् 20

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
3/1/20	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/ वादीगण का वाद पत्र प्रार्थी / प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 LRACT के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण/ विपक्षीगण को सम्मन मय नकल जारी हो। पत्रावली बाद तामिल तकमील वास्ते जवाब प्रतिवादीगण/ विपक्षीगण दिनांक 1/1 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">ER सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर</p>	
4.3.2020	<p>पत्रावली पेश हुई प्रार्थी का विपक्षीगण का वाकजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से उक्त विरुद्ध एक नया आपवाही का निर्धारण किया गया।</p> <p>प्रार्थी का विपक्षीगण पर सीमांकन कादेश जारी करने का विवेक करते हुए वहस की वहस में कहा कि प्रार्थी स्वातेदार कृषक है जोर अपनी जमीन का सीमांकन पाता है उनके पत्रावली का आवेदन किया प्रार्थी अधिकारी को वहस पर प्रतिक्रिया करने से पाया कि प्रार्थी का सागाडा के दर्ज जमीन का स्वातेदार है स्वातेदार को अपनी जमीन का सीमांकन करने का आवेदन है जो रजिस्टर में प्रार्थी पर स्वीकार किया जाकर उपर है</p>	

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
प्र०स० २/२० (२०२०/००००२)

नम्बर व त
अहकाम ज
हुक्म की तारी
में जारी हुए

आदेश

प्राचीन द्वारा प्रस्तुत प्राचीन पत्र अन्तर्गत
द्वारा 128 L.R. के स्वामी का आदेश दिया
जाता है कि ग्राम जोगडा की आ. नं. 307 रकबा
1.27 है. आ. नं. 308 रकबा 6.04 है आ. नं. $\frac{424}{306}$
रकबा 1.28 है. जिस 3 रकबा 2.54 है. जिसका
सीमांकन, शुल्क 300 RS तथा कमीशनर जिस
के 500 RS का कारण पर प्राचीन को सीमांकन
कराया जावे. पालकाय नदनीलदार रामपुर के
हुक्मनामा जारी है। पत्रावली फेब्रुअरी 2020 को
नम्बर से काम है।


4.3.2020

(सुन्दरलाल चक्रवर्ती)
R.A.S.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी,
रायपुर (भीलवाडा))

